B.A. Part I
Paper I

24.8.20

फर्म के व्यवहार संबंधी और प्रबंधकीय सिद्धांत :-

(Behavioural and managerial theories of the firm)

भूमिका (Introduction)

इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण फर्म के व्यवहार-संबंधी और प्रबंधकीय सिद्धांतों का विश्लेषण किया जा रहा है। वे हैं: साइमन का संतुष्टिकरण सिद्धांत, सायर्ट तथा मार्च का व्यवहार-संबंधी सिद्धांत; सायर्ट तथा मार्च का व्यवहार-संबंधी सिद्धांत; विलियमसन का प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत, मैरिस का वृद्धि अधिकतमकरण सिद्धांत और बौमल का विक्रय अधिकतमकरण सिद्धांत। ये उन मान्यताओं और उद्देश्यों पर आधारित हैं, जो लाभ अधिकतमकरण के नव-क्लासिकी सिद्धांत से सर्वथा भिन्न हैं। ये सिद्धांत आधुनिक बड़े निगमों में मालिकों और मैनेजरों के बीच भेद मानते हैं। ये अनिश्चितता की अवस्थाओं के अनुर्गत फर्मों में निर्णयकरण प्रक्रिया पर विचार करती हैं; जब कि इसके विपरीत फर्म के नव-क्लासिकी सिद्धांत में लागत और मांग के पूर्ण ज्ञान की स्थितियों पर विचार किया जाता है। हम फर्म के इन व्यवहार-संबंधी और प्रबंधकीय सिद्धांतों का नीचे विवेचन करते हैं।

साइमन का संतुष्टिकरण सिद्धांत (Simon's Satisficing Theory)

नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. साइमन प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिसने 1955 में फर्म के व्यवहार-संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार, फर्म का मुख्य उद्देश्य लाभों को अधिकतम करना नहीं है, बल्कि संतुष्टिकरण अथवा संतोषजनक लाभ है।

Scanned by CamScanner

साइमन के शब्दों में, "हमें फर्म का उद्देश्य लाभों का अधिकतम करना नहीं समझना चाहिए बल्कि लाभ का एक निश्चित स्त अथवा दर प्राप्त करना है जो बिक्री का एक निश्चित स्तर अथवा तर प्राप्त करना है जो बिक्री का एक निश्चित स्तर अथवा मार्किट का एक निश्चित भाग नियंत्रण करती है"। अनिश्चितता की स्थितियों में एक फर्म यह नहीं जान सकती की लाभ अधिकतम हो रहे हैं या नहीं।

फर्म के व्यवहार का विश्लेषण करते हुए, साइमन संगठनात्मक व्यवहार की व्यक्तिगत व्यवहार के साथ तुलना करता है। उसके अनुसार, एक व्यक्ति की तरह एक फर्म का अपना अभिलाषा स्तर (aspiration level) होता है। फर्म लाभों का एक "लक्ष्य" अथवा एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करने की अभिलाषा रखती है। उसका अभिलाषा स्तर उसके विभिन्न उद्देश्यों जैसे उत्पादन, कीमत, बिक्री, लाभ, आदि और उसके पिछले अनुभव पर आधारित होता है। वह भविष्य में अनिश्चितताओं का भी ध्यान रखती है। अभिलाषा स्तर संतोषजनक और असंतोषजनक परिणामों के बीच सीमा को परिभाषित करता है। इस संदर्भ में फर्म को तीन वैकल्पिक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वे हैं: (क) वास्तविक उपलब्धि अभिलाषा स्तर से कम हो; (ख) वास्तविक उपलब्धि अभिलाषा स्तर से अधिक हो; (ग) वास्तविक उपलब्धि अभिलाषा स्तर के बराबर हो।

प्रथम स्थिति में, जब वास्तविक उपलब्धि अभिलाषा स्तर से कम होती है, तो फर्म अपने प्रशंसनीय कार्य से संतुष्ट होती है। तीसरी स्थिति में, भी फर्म संतुष्ट होती है, जब वास्तविक उपलब्धि अभिलाषा स्तर से मेल खाती है।

परंतु पहली स्थिति में, जब ~~वास्तविक उपलब्धि अभिलाषा~~ फर्म संतुष्ट नहीं होती है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि फर्म ने

Scanned by CamScanner

अपना अभिलाषा स्तर बहुत ऊँचा निश्चित किया हो। इसलिए वह उसे नीचे की ओर संशोधित करेगी और अपने लक्ष्यों को पूरा करने हेतु एक छानबीन प्रक्रिया (search activity) प्रारंभ कर देगी ताकि भविष्य में अभिलाषा स्तर को प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार, यदि फर्म यह पाती है कि अभिलाषा स्तर आसानी से पाया जा सकता है तो अभिलाषा स्तर की ओर बढ़ा दिया जाता है। ऐसी छानबीन प्रक्रिया से फर्म के ~~संबंध~~ प्रबंधक द्वारा निश्चित अभिलाषा स्तर को पहुँचने में फर्म ~~सफल~~ सफल हो जाएगी।

पिछले अनुभव और व्यवहारिक नियमों को मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग करके संभावित विकल्पों के क्रम द्वारा छानबीन प्रक्रिया की जा सकती है। परंतु छानबीन क्रिया लागत रहित मामला नहीं है। छानबीन क्रिया के लाभ को उसकी लागत के साथ अवश्य संतुलित करना चाहिए। और जब एक बार छानबीन स्पष्ट करती है कि क्रिया संतोषजनक हो गई है तो वह फिलहाल छोड़ दी जाएगी। इस प्रकार, फर्म के अभिलाषा स्तर को समय-समय पर हालात के ~~अनुसार~~ अनुकूल बनाया जाता है। फर्म लाभ अधिकतम नहीं कर रही होती, क्योंकि लागत के कारण कुछ हद तक वह अपनी छानबीन क्रियाओं को सीमाबद्ध करती है। विवेकशीलता से व्यवहार करते हुए फर्म अधिकतम करने की बजाए संतुष्टिकरण करती है।

Scanned by CamScanner